# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–88/2020 दायर दिनांक 17.07.2020

GCMS NO:- 2020/00142

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. कुम्भाराम पुत्र सुखदेव जाति मीणा निवासी ग्राम सुन्थली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
2. लादूलाल पुत्र सुखदेव जाति मीणा निवासी ग्राम सुन्थली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
3. बाबूलाल पुत्र सुखदेव जाति मीणा निवासी ग्राम सुन्थली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
4. सोजीलाल पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी ग्राम सुन्थली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
5. राजाराम पुत्र कजोड जाति मीणा निवासी ग्राम सुन्थली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
6. भरतराज पुत्र कजोड जाति मीणा निवासी ग्राम सुन्थली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
7. मीठालाल पुत्र कजोड जाति मीणा निवासी ग्राम सुन्थली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
8. सत्यनारायण पुत्र किशनगोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम सुन्थली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
9. समन्दर लाल पुत्र मथरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम सुन्थली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
10. गिरिराज पुत्र हरनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम सुन्थली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
11. बजराज पुत्र हरनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम सुन्थली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
12. रामगोपाल पुत्र हरनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम सुन्थली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
13. नन्दकिशोर पुत्र भवरलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सुन्थली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।

–प्रार्थीगण–

**बनाम**

1. घासीलाल पुत्र माधो जाति मीणा निवासी ग्राम सुन्थली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
2. शेरू पुत्र घासी जाति मीणा निवासी ग्राम सुन्थली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
3. विकास पुत्र घासी जाति मीणा निवासी ग्राम सुन्थली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
4. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैनवां जिला बून्दी।

––प्रत्यार्थीगण

**वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट**

उपस्थितिः–

पक्षकार प्रार्थिया व प्रत्यार्थीगण

**निर्णय दिनांक 02.10.2021**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम सुन्थली पटवार हल्का सुवानिया तहसील नैनवां के कृषि भूमि खाता संख्या 39 खसरा सं. 19 रकबा 15–10 बीघा, खसरा संख्या 48 रकबा 02–01 बीघा, खसरा संख्या 50 रकबा 00–12 बीघा पर प्रार्थी कुम्भाराम को जाना होता है, खाता संख्या 157 खसरा संख्या 20 रकबा 07–08 बीघा, खसरा संख्या 903/34 रकबा 02–14 बीघा पर प्रार्थी संख्या 2 व 3 को भी अपनी भूमि पर जाना होता है। इस प्रकार प्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 की खातेदारी भूमि पर कृषि उपकरण लेकर व अपनी भूमि से फसल लेकर किसानो को मण्डी तक आना होता है। इस भूमि पर पहुचने के लिए ग्राम सुन्थली को झोपडा से चलकर अप्रार्थी संख्या 1 के खाते के खेत खसरा संख्या 43 व खसरा संख्या 44 में से 15 फुट चौडा रास्ता अर्से दराज से बना हुआ है। इस रास्ते को अप्रार्थीगण ने दिनांक 30.11.2019 को तारबन्दी कर रास्ते को बन्द कर दिया है। जो कि पूर्व में उक्त भूमि सिवायचक दर्ज थी। यह प्रार्थना पत्र का कारण है। अतः प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि व आवास पर आने जाने हेतू कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए 15 फुट का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की खसरा संख्या 43 व 44 में होकर दिया जावे। जिसे परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया गया है, इस आशय का अंकन समस्त राजस्व नक्शे रिकॉर्ड मे तथा मौके पर कायम करवावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.20 15:16:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

व अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ.नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा पत्र बयान आदि पेश किये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाब/रिपोर्ट तलब किया गया। तहसीलदार नैनवॉं की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि व आवास पर आने जाने हेतू कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए 15 फुट का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की खसरा संख्या 43 व 44 में से चाहा गया है। झोपडा आबादी में से खसरा संख्या 65,58 सिवायचक में पूर्व से ही मौके पर रास्ता है जो नक्शे शीट में नही है। यह कि ख.स. 41 रकबा 08–11 बीघा कल्ली पुत्र बाल्या बंजारा वगैरह के खातेदारी भूमि है। इस खसरा संख्या में लम्बाई 370*चौडाई 15= 5560 वर्गफीट अर्थात 16 बिस्वा भूमि में रास्ता पूर्व से ही निकला हुआ है जो नक्शा में नहीं है। यह है कि ख.स. 43 रकबा 4–07 बीघा घासी पि0 माधो मीना खातेदार है। इस ख.स. के पश्चिमी मेड पर लम्बाई 106*चौडाई 8= 848 वर्गफीट अर्थात 1 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गयी है। इसी मेड पर ख. स. 948/53 रकबा 05–17 बीघा पर हरिनारायण पि0 घासी वगैरह मीना खातेदार दर्ज है जो कि लम्बाई 106*चौडाई 8= 848 वर्गफीट अर्थात 1 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु प्रस्वावित है। यह है कि खसरा संख्या 44 की पश्चिमी मेड के सहारे खसरा संख्या 52 की भूमि सिवायचक है। सिवायचक भूमि में सेलम्बाई 363*चौडाई 15= 5445 वर्गफीट अर्थात 6 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु प्रस्वावित है। यह है कि ख.स. 51 व 18 की खातेदारी भूमि की मेड पर आम रास्ता निकला हुआ है जिसमें से प्रार्थीयान आते जाते है। प्रस्तावित रास्ते को परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से अंकित किया गया है। यह है कि प्रार्थीगण के इस रास्ते के अलावा वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेजव रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी । प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम सुन्थली पटवार हल्का सुवानिया तहसील नैंनवां के कृषि भूमि खाता संख्या 39 खसरा सं. 19 रकबा 15–10 बीघा, खसरा संख्या 48 रकबा 02–01 बीघा, खसरा संख्या 50 रकबा 00–12 बीघा, खाता संख्या 157 खसरा संख्या 20 रकबा 07–08 बीघा, खसरा संख्या 903/34 रकबा 02–14 बीघा पर आने जाने तथा ट्रेक्टर–ट्रोली आदि लाने ले जाने हेतु ख.स. 43 में से पश्चिमी मेड पर लम्बाई 106*चौडाई 8= 848 वर्गफीट अर्थात 1 बिस्वा , ख. स. 948/53 में से लम्बाई 106*चौडाई 8= 848 वर्गफीट अर्थात 1 बिस्वा, खसरा संख्या 44 की पश्चिमी मेड के सहारे खसरा संख्या 52 की भूमि सिवायचक भूमि में से लम्बाई 363*चौडाई 15= 5445 वर्गफीट अर्थात 6 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। ख.स. 51 व 18 की खातेदारी भूमि की मेड पर आम रास्ता निकला हुआ है। परिशिष्ट "क" में प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है के अनुसार 15 फिट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे । नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 02.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.20 15:16:36 IST
Reason: SelfAttested